सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1117 राँची, बुधवार, 12 दिसम्बर, 2018 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

7 दिसम्बर, 2018

संख्या-2/भू०अ०परि०निदे०(आरोप)-10/2018- 4836--/रा,-- वन बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची के द्वारा श्याम सुंदर सिंह बनाम् राज्य सरकार में मुआवजा वाद संख्या-**01/12-13, 02/12-13, 03/12-13, 04/12-13** एवं **05/12-13** में दिनांक **6 अगस्त, 2013** को क्षतिपूर्ती भुगतान हेतु आदेश पारित किया गया जिसे वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड द्वारा सही नहीं माना गया। इस मामले एवं अन्य सदृश्य मामलों की उच्च स्तरीय जाँच हेतु प्रमण्डलवार प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति की गठन के प्रस्ताव पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की संचिका में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त अनुमोदन के आलोक में संदर्भित मामलों की उच्च स्तरीय जांच हेतु प्रमंडलवार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता के अनुसार प्रमंडलवार उच्च स्तरीय समिति का गठन का स्वरूप निम्नवत् है :-

1. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त - अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अथवा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा नामित अन्य सक्षम पदाधिकारी - सदस्य
3. निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय - सदस्य

समिति का कार्य एवं दायित्व -

1. संदर्भित मामले एवं अन्य सदृश्य मामलों की जांच करना।
2. निर्धारित समयावधि में तथ्यों का सत्यापन व आकलन कर अधिकतम **15** दिनों के अन्दर स्पष्ट मंतव्य व सुझाव के साथ वांछित जांच प्रतिवेदन संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना।

उक्त समिति समय-समय पर वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रदत्त निदेश के आलोक में अपने कार्यों एवं दायित्यों का निर्वाहन करेगी।

उक्त उच्च स्तरीय समिति के गठन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1117 -- 50